

प्रमाण-पत्र

पत्रांक ८० | अंग्रेजी - निर्गोल - १४-६-२०२१

प्रमाणित किया जाता है कि खालसा पब्लिक स्कुल,


देहरादून रोड, सड़क दूधली, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक
17-06-2021 को किया गया। भवन प्रथम दृष्ट्या सुरक्षित एवं मजबूत
प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार
विन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक— चैकलिस्ट

व्यायक अधिकारी
प्रान्तीय नगर, लो.नि.दि.
सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
(ख) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-1 से 12) हेतु चेकलिस्ट
खालसा पब्लिक स्कुल,
देहरादून रोड, सड़क दूधली, सहारनपुर
-पत्रांक ८० | नं०-१) | तिथि १८. ६-२०१५

क्र० सं	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	निरीक्षण आव्याप्ति
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	दो मंजिला
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्गमीटर) है?	नहीं
5	क्या भवन के घारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर०सी०वी०
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक हैं?	हाँ
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मीटर) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊंचाई 4.5 मीटर है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मीटर ऊंचाई 2.0 मीटर) है?	हाँ
16	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
17	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी, ट्रेड 300 मिमी तथा राइजर 150 मिमी है?	हाँ


 नहायक अधिकारी
 सामृद्धि खण्ड, लो. नू. ८०
 सहारनपुर

प्रताङ्क

८० | कम्प-१

फिलोज १४-६-२०१५

18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
19	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
21	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
22	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	
24	भवन यदि दो मंजिला है तो— (i) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है? (ii) क्या भवन में बेसमेन्ट (200 वर्ग मी० क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	नहीं
25	क्या भवन में विकलागों हेतु रैम्प की चौडाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	नहीं
26	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती हैं?	नहीं
27	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	नहीं
28	क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी० प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	नहीं
29	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नहीं
30	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ

महाराष्ट्र विसम्बन्धी
प्रान्तीय खण्ड, लो० तिनीदि०
सहारनपुर